भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **804**

गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 / 30 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों पर चेक-इन काउंटर

804. श्री जी.एम.सिद्देश्वर:

श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हवाई अड्डा के लिए चेक-इन काउंटरों को डिजाइन करने हेतु प्रयुक्त मानदंड तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हवाई अड्डों के विकास के लिए नियमों में यात्रियों की संख्या के अनुपात में आवश्यक न्यूनतम कार्यरत काउंटरों की संख्या उल्लिखित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का चेक-इन प्रक्रिया में लगने वाले कुल समय को कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): देश में हवाईअड्डा टर्मिनलों को डिजाइन करते समय, चेक-इन काउंटरों की संख्या निर्धारित करने के लिए, आईएटीए (अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ) द्वारा परिभाषित, दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का पालन किया जाता है।

(ख) और (ग): आईएटीए के उक्त मानदंडों में, अपेक्षित वर्किंग काउंटरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है।

(घ): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों ने, चेक-इन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए, सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर चेक-इन प्रक्रिया हेतु कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट (सीयूटीई) और कॉमन यूज सेल्फ सर्विस (सीयूएसएस) कियोस्क स्थापित किए हैं।

*****